


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री राजू कुमार पिता- चितलाल साव, निवासी ग्राम- बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात खाता सं०.- 20 प्लॉट सं०.- 288; खाता सं०.- 39, प्लॉट सं०.- 282, 342, 355, 362, 428, 435, 501, 530, 709; खाता सं०.- 09 प्लॉट सं०.- 457, 507; खाता सं०.- 43 प्लॉट सं०.- 287; खाता सं०.- 8 प्लॉट सं०.- 121, 146/720 और होन्हे खाता सं०.- 62 प्लॉट सं०.-545 (1.750 acres); एवं ग्राम-कुंडी under खाता सं०.- 7 प्लॉट सं०.-305; खाता सं०.- 15 प्लॉट सं०.- 10 & देवलगड़ा under खाता सं०.-6 प्लॉट सं०.- 29 (0.245 acres) कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम:बिंगलात खाता सं०.- 20 प्लॉट सं०.- 288; खाता सं०.- 39, प्लॉट सं०.- 282, 342, 355, 362, 428, 435, 501, 530, 709; खाता सं०.- 09 प्लॉट सं०.- 457, 507; खाता सं०.- 43 प्लॉट सं०.- 287; खाता सं०.- 8 प्लॉट सं०.- 121, 146/720 & होन्हेखाता सं०.- 62 प्लॉट सं०.-545 (1.750 acres);ग्राम-कुंडी under खाता सं०.- 7 प्लॉट सं०.-305; खाता सं०.- 15 प्लॉट सं०.- 10 & देवलगड़ा under खाता सं०.-6 प्लॉट सं०.- 29 (0.245 acres) कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री राजू कुमार पिता- चितलाल साव, निवासी ग्राम- बिंगलात , थाना: टंडवा , जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
10/10/2022